भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित** प्रश्‍न संख्‍या **1801**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 28 दिसम्‍बर, 2018/7 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाना**

**1801. श्री नरेश गुजराल:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई कार्यनीति है;

(ख) क्‍या वर्तमान में दी जा रही उर्वरक राजसहायता में तरल उर्वरक, जैव-उर्वरक तथा खेती की खाद पर राजसहायता शामिल है; और

(ग) क्‍या सरकार जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता देने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क):** जी हां।

(।) सरकार ने राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत **‘’मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन योजना’’** नामक एक योजना शुरू की है। एनएमएसए के अंतर्गत मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन (एसएचएम) एक घटक है जिसका उद्देश्‍य है- मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं इसकी उत्‍पादकता में सुधार के लिए कार्बनिक खादों तथा जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक तथा सूक्ष्‍म पोषकतत्‍वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिये एकीकृत पोषकतत्‍व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना; मृदा उर्वरता में सुधार के लिए किसानों को मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशें प्रदान करने हेतु मृदा तथा उर्वरक परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना; उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उर्वरकों, जैव उर्वरकों तथा कार्बनिक खादों की गुणता नियंत्रण आवश्‍यकताओं की पूर्ति सुनिश्‍चित करना; प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों के माध्‍यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्मिकों, विस्‍तार कार्मिकों तथा किसानों के कौशल तथा ज्ञान का उन्‍नयन करना; कार्बनिक कृषि संव्‍यवहारों का प्रोत्‍साहन करना आदि। एसएचएम का उद्देश्‍य उर्वरक डीलरों, विदेशी नागरिकों, उर्वरक निरीक्षकों तथा उर्वरक प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल्‍स) की स्‍थापना करना, नई मोबाइल एसटीएल्‍स की स्‍थापना करना, मौजूदा एसटीएल्‍स को मजबूत बनाना, नई उर्वरक गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला (एफक्‍यूसीएल) की स्‍थापना करना, उर्वरकों के संतुलित इस्‍तेमाल पर प्रशिक्षणों तथा प्रदर्शनों के अतिरिक्‍त एफक्‍यूसीएल को मजबूत करना भी है।

इसके अतिरिक्‍त, देश के सभी किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड प्रदान करने हेतु देश में “मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड’’ योजना फरवरी, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की मृदा पोषकतत्‍व संबंधी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उसकी उर्वरता में वृद्धि करने और इस प्रकार कृषि उत्‍पादकता में वृद्धि हेतु अनुप्रयोज्‍य पोषकतत्‍वों की उपयुक्‍त खुराक के संबंध में सिफारिश करेगा। मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड देश के सभी जोतधारकों को प्रत्‍येक 02 वर्ष में जारी किया जाएगा।

-: 2 :-

(।।) इसके अतिरिक्‍त, आईसीएआर रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्‍चित करने के लिए 4आर दृष्टिकोण, अर्थात उर्वरकों की राइट क्‍वांटटी, राइट टाइम, राइट मोड और राइट टाइप के उर्वरक, के साथ पादप पोषकतत्‍वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक आदि) के मिले-जुले प्रयोग के जरिये मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषकतत्‍व प्रबंधन की सिफारिश कर रहा है। आईसीएआर ने देश के अलग-अलग कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभिन्‍न फसलों/फसल प्रणालियों के लिए एकीकृत पोषकतत्‍व प्रबंधन पैकेज विकसित किए हैं।

 परिषद् ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे किसान उपलब्‍ध ग्रामीण कार्बनिक अपशिष्‍ट से फॉस्‍फोकम्‍पोस्‍ट, वर्मी कम्‍पोस्‍ट, जैव-समृद्ध कम्‍पोस्‍ट आदि जैसी विभिन्‍न प्रकार की कार्बनिक खाद तैयार कर सकें। परिषद् हरित खाद तैयार करने और स्‍वस्‍थाने फसल अवशिष्‍ट पुनर्चक्रण की भी सिफारिश करती है।

 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मृदा जैवविविधता-जैव उर्वरक संबंधी नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत अलग-अलग फसलों और मृदा प्रकारों के लिए विशिष्‍ट रूप से बेहतर और कारगर जैव-उर्वरक तैयार किए हैं। अपेक्षाकृत लम्‍बे समय तक खराब न होने वाली द्रव जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी भी विकसित की है।

 आईसीएआर किसानों को इन सभी पहलुओं पर जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन का आयोजन करना आदि कार्य भी करता है।

**(ख) और (ग):** राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत, राज्‍य सरकार/सरकारी एजेसियों को यांत्रिक फल/सब्‍जी बाजार, अपशिष्‍ट/कृषि अपशिष्‍ट कम्‍पोस्‍ट उत्‍पादन इकाई की स्‍थापना हेतु 190.00 लाख रुपये प्रति इकाई की अधिकतम सीमा तक 100% वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, निजी एजेंसियों/व्‍यक्तियों को अपशिष्‍ट कम्‍पोस्‍ट उत्‍पादन इकाई (3000 टीपीए क्षमता) की स्‍थापना हेतु परियोजना लागत की 30% सहायता, 63 लाख रुपये प्रति इकाई तक, प्रदान की जाती है।

(i) परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत, तीन वर्ष के लिए प्रति किसान 50,000 रुपये प्रति हेक्‍टेयर की दर से वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से 62%, अर्थात् 31,000 रुपये कार्बनिक परिवर्तन, कार्बनिक आदानों, खेत पर आदान अवसंरचना के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(ii) एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, 03 वर्ष के लिए 3750 रुपये प्रति हेक्‍टेयर की दर से खेत पर और खेत से बाहर आदान उत्‍पादन अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) कार्बनिक अपशिष्‍ट से कार्बनिक खाद के खेत पर उत्‍पादन हेतु देश भर में किसानों को नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग (एनसीओएफ), गाजियाबाद द्वारा विकसित अपशिष्‍ट अपघटक (डिकम्‍पोजर) वितरित किए गए हैं।

(iv) भारत सरकार ने शहरी अपशिष्‍ट से शहरी कम्‍पोस्‍ट को बढ़ावा देने को भी अनुमोदित किया है जिसे उर्वरक विभाग ने 10.02.2016 को अधिसूचित किया है जिसमें शहरी कम्‍पोस्‍ट के उत्‍पादन और खपत को बढ़ाने के लिए राजसहायता के रूप में 1500 रुपये/मी.टन की बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*\*\*\*